Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये जगदीश प्रसाद मीणा सरपंच एवं धनराज मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अजेता जिला बूंदी को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा ग्राम पंचायत अजेता में करवाये गये निर्माण कार्यों के बकाया बिल पास करने की एवज में जगदीश प्रसाद मीणा सरपंच एवं धनराज मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अजेता जिला बूंदी द्वारा 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री ताराचन्द** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा निवासी ग्राम रामपुरा, थाना गेण्डोली, जिला बूंदी हाल सरपंच ग्राम पंचायत अजेता जिला बूंदी एवं धनराज मीणा पुत्र श्री मदनलाल निवासी कवरपुरा, थाना कापरेन, जिला बूंदी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अजेता जिला बूंदी को परिवादी से **50 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।